

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू०अ०नि० (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....3118

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता,
मधुबनी।

पटना दिनांक 10/09/2026

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि समाहर्ता, मधुबनी का पत्रांक 2445 दिनांक 05.09.2026 के आलोक में मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर, भोपाल को सूद की राशि का भुगतान करने हेतु 28 04 (व्यवसायिक/कला एवं तकनीकी सेवाएँ) मद की राशि मो० 2,69,114/- (दो लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौदह) रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 706 दिनांक 26.02.2026 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40- 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
11. यह आवंटनादेश आपके पत्रांक 2445 दिनांक 05.09.2026 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

(सुहर्ष भगत)
10/09/26

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:-02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....3118

पटना, दिनांक :- 10/09/26

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुहर्ष भगत)
निदेशक 10/09/26

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 10/09/26

ज्ञापांक:-02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....3118

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुहर्ष भगत)
निदेशक 10/09/26

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 10/09/26

ज्ञापांक:-02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....3118

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(सुहर्ष भगत)
निदेशक 10/09/26

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 10/09/26

ज्ञापांक:-02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2026.....3118

प्रतिलिपि :- सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुहर्ष भगत)
निदेशक 10/09/26

भू-अभिलेख एवं परिमाण